>

Title:

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का सदन में अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में देश भर में फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसमें अनेक फसलों को बीमित किया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बुरहानपुर जिले में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत केले की फसल का फसल बीमा किसानों द्वारा कराया जाता है। एक हैक्टेअर में 1.5 लाख रुपये का कवरेज इस बीमा में होता है।

महोदय, वर्ष 2018-19 में 16,800 किसानों ने फसल बीमा कराया और मौसम आधारित फसल बीमा में जो नुकसान हुआ है, उसमें 70 करोड़ रुपये का सर्वे में नुकसानी का भी निकल आया है। वहाँ के किसानों ने प्रीमियम में अपना अंश दे दिया। भारत सरकार ने भी प्रीमियम में अपना अंश दे दिया, लेकिन ये 70 करोड़ रुपये किसानों को नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने प्रीमियम का अंश अभी तक न मिलाने के कारण वर्ष 2018-19 का 70 करोड़ रुपया हमारे किसानों को अभी तक नहीं मिला है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस फसल बीमा में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और किसान, तीनों की बराबरी की भागीदारी है और तीनों की सहमति से यह फसल बीमा योजना शुरू हुई है। किसानों ने अपना अंश मिलाया है।

भारत सरकार ने अपना अंश मिलाया है। मध्य प्रदेश सरकार का भी वर्ष 2018-19 के फसल बीमा का अंश मिलाकर मेरे जिले के केला उत्पादक किसानों को 70 करोड़ रुपये दिलवाने में यह सदन और भारत सरकार पहल करे, अध्यक्ष महोदय, मेरा यही अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष: श्री गणेश सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री मलूक नागर, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गिरीश चन्द्र को श्री नंदकुमार सिंह चौहान के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जो ज्यादा हाथ उठाएगा, उसका नम्बर नहीं आएगा।